

निर्णय बड़जलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

प्रकरण संख्या 145/दावा/2019

तारीख दायरा 20.12.2019

ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2019/00200

उनवान

श्री चैनसिंह पिता नन्दलाल जाति लोधा निवासी आंवलहेडा तहसील मनोहरथाना

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज.)

—प्रतिवादी

वाद धारा 91 राज0टी0एक्ट एवं धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट

निर्णय दिनांक 24.05.2018

उपस्थित वकील वादी—श्री कैलाशचन्द वैष्णव

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 91 रा0टी0ए0 एवं 136 ले0रे0ए0 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम आंवलहेडा पटवार हल्का आंवलहेडा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 336 पुरानी 333 की खसरा नम्बरान क्रमशः 234 की 2 बीघा 11 बिस्वा 533 की 4 बीघा 4 बिस्वा, 548 की 2 बिस्वा 637 की 5 बीघा 11 बिस्वा, 638 की 11 बिस्वा, 639 की 1 बिस्वा, 899 की 1 बीघा 7 बिस्वा, 900 की 1 बीघा 12 बिस्वा, कुल 8 किता की 15 बीघा 19 बिस्वा आराजी वादी एवं अन्य सहखातेदारान के शामिल खाते की दर्ज है। वर्णित आराजी में मुझ वादी का नाम रामचन्द्र पिता नन्दा दर्ज हो रहा है जो गलत दर्ज हो गया है जबकि मुझ वादी का वास्तविक नाम चैनसिंह पिता नन्दलाल लोधा है जो सही एवं सत्य हैं। वर्णित आराजी में मुझ वादी का नाम रामचन्द्र पिता नन्दा दर्ज होने से मुझ वादी को उक्त आराजी पर ऋण लेने व किसान कार्ड बनवाने तथा अन्य कृषि सम्बन्धित योजना का लाभ प्राप्त करने में परेशानी आ रही है इसलिये मैं वादी अपने नाम रामचन्द्र पिता नन्दा को दुरस्त करवाकर के उसके स्थान पर चैनसिंह पिता नन्दलाल जाति लोधा दर्ज करवाना चाहता हूँ जो सही एवं सत्य हैं। वर्णित आराजी में मुझ वादी का नाम रामचन्द्र पिता नन्दा दर्ज हो रहा है जो गलत दर्ज है। मेरा वास्तविक नाम चैनसिंह पिता नन्दलाल लोधा है जो सही एवं सत्य है। तथा अन्य राजकिये दस्तावेज जैसे स्थानकार्ड, पहचानपत्र, आधारकार्ड, बैंक डायरी आदि सभी दस्तावेजात में मेरा नाम चैनसिंह पिता नन्दलाल ही है जो सही एवं सत्य है इसलिये मैं वादी अपने नाम रामचन्द्र पिता नन्दा को दुरस्त करवाकर उसके स्थान पर चैनसिंह पिता नन्दलाल जाति लोधा निवासी

आवंलहेडा करवाना चाहता हूँ जो सही एवं वास्तविक नाम हैं। वाद कारण दिनांक.....
2019 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी से वाद में वर्णित आराजी पर इन्द्राज दुरुस्ती कराकर सही
नाम की कहने पर प्रतिवादी द्वारा असहमति व्यक्त करने पर उत्पन्न हुआ। अतः वादी का वाद
डिकी किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।
प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल
में लाई गई। वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी का तर्क है कि ग्राम आवंलहेडा पटवार
हल्का आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 336 पुरानी 333 की
खसरा नम्बरान क्रमशः 234 की 2 बीघा 11 बिस्वा 533 की 4 बीघा 4 बिस्वा, 548 की 2
बिस्वा 637 की 5 बीघा 11 बिस्वा, 638 की 11 बिस्वा, 639 की 1 बिस्वा, 899 की 1 बीघा 7
बिस्वा, 900 की 1बीघा 12 बिस्वा, कुल 8 किता की 15 बीघा 19 बिस्वा खाते में लिपिकीय
त्रूटीवंश। वाद की पुष्टि में नकल जमाबन्दी सं० 2069-2072 जिसेम्च -1, से प्रदर्शित कर
पेश किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं दस्तावेज पर गौर किया
गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की पुष्टि में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड EXP -1 से EXP -6, पर
तहसीलदार मनोहरथाना से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं प्रस्तुत दस्तावेज व रिपोर्ट
तहसीलदार का अवलोकन किया गया अतः वादी का वाद डिकी किया जाकर इन्द्राज दुरुस्ती
किया जाने योग्य है।

अतः वाद वादी डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आवंलहेडा पटवार हल्का
आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 336 पुरानी 333 की खसरा
नम्बरान क्रमशः 234 की 2 बीघा 11 बिस्वा 533 की 4 बीघा 4 बिस्वा, 548 की 2 बिस्वा 637
की 5 बीघा 11 बिस्वा, 638 की 11 बिस्वा, 639 की 1 बिस्वा, 899 की 1 बीघा 7 बिस्वा, 900
की 1बीघा 12 बिस्वा, कुल 8 किता की 15 बीघा 19 बिस्वा आराजी में वादी का नाम रामचन्द्र
पिता नन्दा के स्थान पर चैनसिंह पिता नन्दलाल लोधा किया जाता है। राजस्व रेकार्डमें
अमल दारामद किया जावे। डिकी जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.06.2022 को मजमें आम टंकण करवाया जाकर सुनाया गया।

(श्री अभिषेक नमुरा)
उपखण्ड अधिवक्ता
मनोहरथाना, जिला हल्द्वारी

डिकी मुकदमात इब्तदाई
(ओ020 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड
राजस्थान

प्रकरण संख्या 145/दावा/2019

तारीख दायरा 20.12.2019

ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2019/00200

उनवान

श्री चैनसिंह पिता नन्दलाल जाति लोधा निवासी आंवलहेडा तहसील मनोहरथाना

-वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज.)

-प्रतिवादी

वाद धारा 91 राज0 टी0 एक्ट एवं धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसालकतई रुबरू मुझ अभिषेक चारण (आर0ए0एस0) बहाजरी
वकील वादी श्री कैलाशचन्द वैष्णव मिन जानिब मुद्दालय श्रीपेश होकर आदेश दिया
जाता है कि :-

ग्राम आंवलहेडा पटवार हल्का आंवलहेडा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया
336 पुरानी 333 की खसरा नम्बरान क्रमशः 234 की 2 बीघा 11 बिस्वा 533 की 4 बीघा 4
बिस्वा, 548 की 2 बिस्वा 637 की 5 बीघा 11 बिस्वा, 638 की 11 बिस्वा, 639 की 1 बिस्वा,
899 की 1 बीघा 7 बिस्वा, 900 की 1बीघा 12 बिस्वा, कुल 8 किता की 15 बीघा 19 बिस्वा
आराजी मे वादी का नाम रामचन्द्र पिता नन्दा के स्थान पर चैनसिंह पिता नन्दलाल लोधा
किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में अमल दारामद किया जावे।।

आज दिनांक 24.06.2022 को मजमे आम हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी की
गई।

(श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना)